Misleading Advertisement by Manufacturers of Aerated Water

3242. SHRI RAMPRASAD AHIRWAR : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 3020 on 12 December, 1983 and state :

(b) out of the 291 FPO licencees who were issued show cause notices for violation of FPO, how many have adhered to provisions of FPO, 1955 ;

(b) the licencees who have started to adhere to this clause in respect of all advertisements in AIR, TV, print media, outdoor publicity, point of sale display ;

(c) the licencees who are adhering to this clause only partially by not including the statutory notice in all kinds of publicity and advertisement ;

(d) which of these licencees are adhering to this clause only partially by specifying only "Artificially Flavoured" and not specifying "contains no fruit juice" ; and

(e) action proposed against the erring firms ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (d). No advertisements are now being accepted by All India Radio/Doordarshan which are not in conformity with clause 11 (3) of the Fruit Products Order, 1955. Similarly, censor certificates are now being given only to advertisement films which comply with this clause. Reports about compliance in other media are awaited.

(e) Action including suspension of production in certain cases has been taken to enforce compliance with clause 11 (3) of the Fruit Products Order, 1955. It has, however, been decided not to take action against those licencees who have started complying with the statutory provision or have undertaken to do so. Instructions have been issued to the officers concerned to take appropriate action under the Order against those who may still be resisting compliance.

खेलों का विकास

3243. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो खेलों के विकास के लिए कौन-कौन से स्थानों पर खेलों की सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं अथवा कराए जाने का विचार है और इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार खेल सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु योजनायें तैयार की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) खेल शारीरिक शिक्षा और युवा सेवाओं पर सातवीं योजना कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-1990) के दौरान खेल और शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 541 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की है। तथापि, सातवीं योजना के लिए वास्तविक आबंटन को योजना आयोग के परामर्श से यथा समय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) और (ग) चूंकि खेल राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार की अनिवार्यत: राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने तथा उनके प्रस्तावों का उत्तर देने में भूमिका अदा करनी है। इन मामलों में पहल करना मूलत: राज्य सरकारों का ही कार्य है और उपलब्ध संसाधनों की तुलना में योजनाओं के स्वीकृत ढांचे के अनुसार उनके प्रत्येक प्रस्ताव की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

स्वयं-वित्त पोषण योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण और नाम वापस लेना

3244. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने तीसरी, चौथी, तथा पांचवीं स्वयंवित्तपोषण आवास योजनाओं, के अन्तर्गत अपने नाम पंजीकृत कराये थे तथा उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने जनवरी, 1984 में पहली किस्त जमा की थी ;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने पहली किस्त की धनराशि जमा नहीं की तथा उपरोक्त योजनाओं से अपने नाम वापस लिए हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों की क्षेत्रवार संख्या क्या है जिन्होंने प्रथम तथा दूसरी स्वयं-वित्त पोषण आवास योजनाओं में अपने आबंटनों को रद्द कराया है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) 46,862 व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की तीसरी, चौथी और पांचवीं स्ववित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना में अपने नाम पंजीकृत करवाए थे। 5928 पंजीकृतों ने जनवरी, 1984 में पहली किस्त की राशि जमा की थी (3/84 तक प्राप्त की गई)।

(ख) 2236 व्यक्तियों ने अपने पंजीकरण रद्द करवाये थे।

(ग) स्व-वित्त पोषित योजना I तथा II के तहत पंजीकृत 4 व्यक्तियों ने जिन्हें नवम्बर/दिसम्बर, 1983 में निकाली गई लाटरी में फ्लैट का नियतन किया गया था, अपने आबंटन रद्द करवाए थे, क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

कालोनी का नाम	छोड़े गए/रद्द किए गए नियतन की संख्या
1. कटवारिया सराय	1
2. वसन्त कुंज	1
3. पश्चिमपुरी	1
4. वसन्त विहार (जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय)	1

वर्ष 1981-84 के दौरान सड़कों को चौड़ा करने की योजनाएं

3245. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-84 के दौरान विजय चौक, डलहौजी रोड तथा विजय चौक तथा साउथ एवेन्यू तथा नार्थ एवेन्यू रोड के सम्बन्ध में सड़कों को चौड़ा करने, मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने ह्यूज पाइप बिछाने तथा पुराने पाइप विखंडित करने तथा आर०सी०सी० टनलूस के निर्माण की लगभग 50 योजनायें तैयार की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बार कितनी योजनायें बनायी गयीं तथा उपरोक्त सड़कों के सुधार पर वर्ष 1981-84 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि यातायात में भारी वृद्धि होने के कारण उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में साऊथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू तथा डलहौजी रोड को चौड़ा करने का प्रस्ताव किया था जिसके ब्यौरे संलग्न अनुलग्नक में दिए गए हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि विजय चौक पर कौलतार बिछाने का कार्य उन्होंने 4.27 लाख रुपये की लागत से 1983-84 के दौरान किया था। सड़कों को चौड़ा नहीं किया गया था।

Out-of-Turn Allotments to the Officers of Directorate of Estates

3246. SHRI R.L.P. VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether a number of officers of